विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

सरकार के बजट में वंचितों के हकों की रक्षा कैसे हो?

• भारत डोगरा •

हाल के वर्षों में देश में ऐसे अनेक बजट विश्लेषण संस्थान स्थापित हुए हैं जो बजट में गरीब व कमजोर वर्ग के हितों का विश्लेषण इस दृष्टि से करते हैं कि इससे उनके हितों की रक्षा की जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। राजस्थान के संदर्भ में बजट के विश्लेषण व गरीब लोगों के बजट के आकलन–मूल्यांकन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाला है बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र ने। यह केंद्र राजस्थान की एक प्रमुख स्वैच्छिक संस्था 'आस्था' से जुड़ा हुआ एक ऐसा संस्थान है जो विशेष रूप से बजट संबंधी जिम्मेदारियों को संभालता है।

विभिन्न वंचित समुदायों जैसे दलित, आदिवासी, एकल महिलाओं आदि की दृष्टि से बजट का अध्ययन व आकलन करना व इस अध्ययन से प्राप्त जानकारी का प्रचार प्रसार करना इस केंद्र का प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही बजट के बारे में सामान्य लोगों की जानकारी को बढ़ाने व बजट तथा बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने में भी बजट केंद्र प्रयासरत रहा है। दलित समुदाय से न्याय करने के लिए व विभिन्न सरकारी योजनाएं बना उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुसार उचित लाभ देने के लिए भारतीय सरकार ने 'स्पेशल कंपोनेंट प्लान' की व्यवस्था की पर प्रायः यह देखा गया कि इस प्लान का सही पालन नहीं हो रहा है। राजस्थान के संदर्भ में बजट केंद्र ने विभिन्न विभागों के आंकड़ों की विस्तृत जांच पड़ताल कर बताया कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान का उल्लंघन कहां व किस तरह हो रहा है। इस दृष्टि से बजट केंद्र का वर्ष 2007 का एक अध्ययन बहुत चर्चित रहा जिसका शीर्षक था 'अपनी उचित हकदारी के हिस्से से दलितों को कब तक वंचित किया जाएगा'। जहां यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ, वहां बजट केंद्र ने इसके बाद भी फॉलोअप प्रयासों से इस मुद्दे को जीवंत बनाए रखा। इसका अच्छा परिणाम भी मिला। यह मुद्दा चर्चा का विषय बना और सरकार ने इस संदर्भ में कुछ सुधार भी किए जिससे स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत बेहतर बजट उपलब्ध हो सका।

बजट केंद्र के आकलन के अनुसार राज्य के आयोजना बजट में 2011–12 के बजट से पहले के 5 वर्षों में अनुसूचित जाति उपयोजना का हिस्सा मात्र 2 से 4 प्रतिशत था जबकि जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से यह 17 प्रतिशत होना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे को असरदार ढंग से उठाए जाने का एक महत्वपूर्ण असर वर्ष 2011–12 के बजट में देखा गया जब अनुसूचित जाति उपयोजना का बजट 9 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसी तरह बजट केंद्र ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना से बजट में हो रहे अन्याय की ओर बार बार ध्यान आकर्षित किया है। जहां आयोजना बजट में से जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 12.5 प्रतिशत आदिवासियों के लिए मिलना चाहिए, वहां केंद्र के बजट समाचार ने आंकड़ों की जांच पड़ताल कर जनवरी–मार्च 2012 के अपने अंक में बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के आयोजना बजट में जनजाति उपयोजना बजट का हिस्सा 2.5 से 4. 5 प्रतिशत के बीच रहा है। इस तरह राज्य के आदिवासी करोड़ों रुपए के बजट से वंचित हुए हैं। इस मुददे को असरदार ढंग से उठाए जाने के कारण वर्ष 2011–12 के बजट में अनुसूचित जनजाति उपयोजना का बजट 7.5 प्रतिशत तक पहुंच गया जो कि एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

राजस्थान में 'आस्था' संस्था के बहुपक्षीय प्रयासों से जुड़े एकल महिला संगठन ने एकल महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने व उनके आंशिक समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एकल महिला संगठन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट केंद्र ने राजस्थान में विधवाओं की चिंताजनक स्थिति पर फरवरी 2007 में एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसमें उपलब्ध आंकड़ों की विस्तृत जांच पड़ताल कर बताया गया कि राज्य में विधवा महिलाओं की संख्या लगभग 16 लाख है जिनमें से अधिकांश जरूरतमंद हैं, जबकि मात्र 2 लाख विधवा महिलाओं को पेंशन देने के लिए ही राज्य सरकार के बजट में व्यवस्था है। साथ ही विधवा पेंशन की राशि भी बहुत कम है। बजट केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाए गए इस अध्ययन की ठोस जानकारियों से एकल महिला संगठन के हाथ मजबूत हुए व विधवा पेंशन को बढ़वाने में उन्हें मदद मिली। इस तरह जब बजट केंद्र का कार्य

जारी

इस अंक में...

- सरकार के बजट में वंचितों के हकों की रक्षा कैसे हो?
- महिलाओं के लिए विजय क्षण
- अनाज नहीं नकद खाइए
- जनता के लिए न्याय
- आधार कार्डः झूठे जग भरमाय
- जनता को मिला सुनवाई का अधिकार
- नेता, नेतृत्व और नेतागिरी
- हाड़तोड़ मेहनत की कीमत एक रुपया
- शराब से बढ़ती है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा
- छात्राएं हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर

किसी वंचित समुदाय से जुड़े संगठन के कार्य के साथ मिलता है तो इस आपसी सहयोग से दोनों के कार्य की सार्थकता बढ़ती है और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। महिलाओं की हकदारी को बजट के संदर्भ में बढ़ाते हुए बजट केंद्र ने स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट या जेंडर बजट की पैरवी के प्रयास भी किए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बजट में महिलाओं के प्रति न्याय हो। बजट केंद्र ने दलित, आदिवासी, एकल महिलाओं आदि उपेक्षित वंचित समुदायों के संगठनों से संपर्क कर उन्हें भी उनके संदर्भ में बजट संबंधी उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाई है। चाहे 'आस्था' का आदिवासी हकदारी का कार्य हो या दलित संगठनों के अभियान हों, उन्हें बजट केंद्र की जानकारी से काफी सहायता मिली है। ऐसे कुछ संगठनों की विशेष मांग होने पर उनके लिए बजट संबंधी उपयोगी जानकारी विशेष तौर पर खोज कर उपलब्ध करवाने की भूमिका भी समय समय पर बजट केंद्र ने निभाई है। *(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

महिलाओं के लिए विजय क्षण

• मूल लेखः कल्पना कन्नामिरन •

जस्टिस वर्मा कमेटी द्वारा एक महीने में जो व्यापक सुझाव दिए गए हैं वह यौन हिंसा की व बलात्कार की शिकार महिलाओं की अस्मिता, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण देने में काफी मददगार होगी। ताराबाई शिंदे ने अपने देश की महिला बहिनों के लिए 1882 में महिला आंदोलन की जो लौ जलाई वह निरंतर जारी है। इतने महत्वपूर्ण इतिहास के बावजूद पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया।

16 दिसंबर की वह रात जिसमें एक 23 वर्षीय निर्भया यानि हमारी बेटियों पर अमानुषिक बर्बर तरीके से बलात्कार राजधानी की सड़कों पर किया। जब लग रहा था कि इस तरह की बर्बरता ही शायद पुरुष का होना बताता है जबकि हजारों महिलाओं ने अपना जीवन इस बात के लिए खपाया कि दुनिया औरतों के लिए सुरक्षित होगी। ऐसा लगा कि महिला की स्वतंत्रता को यौन हिंसा या यौनिक आतंकवाद से कुचलने की बातें जिससे औरत को कमतर व गुलाम बनाया जा सके जैसी बातें महिला अध्ययन की किताबों में कैद हो गई और पुस्तकालयों का हिस्सा बनकर रह गई। ऐसे में एक विजय की किरण दिखाई दी कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। संविधान का नए रूप में अवतरण हुआ है। जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा आपराधिक कानून में सुझाए गए सुझाव हमारे विजय का क्षण है। यह इस देश में महिला आंदोलन की जीत है।

आपराधिक कानून में बलात्कार व यौनिक आक्रमण तक अपने आप को सीमित करने के बजाए कमेटी ने व्यापक रूप से उस पूरे संवैधानिक ढांचे को पेश किया है जिसमें यौन हिंसा कारित होती है। पूरा राजनीतिक ढांचा पेश किया जहां हर शब्द में यह झलकता है कि कैसे महिलाओं को न्याय मिल सकता है। लिंग के आधार पर भेदभाव को कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसे पेश करने का प्रयास किया है। इस लक्ष्य को लाने के लिए सरकार की जवाबदेही है। सरकार की समस्त संस्थाओं के कार्य करने के तरीके व कानून व न्याय व्यवस्था बनाने का ऑडिट करने की जरूरत सबसे ज्यादा है। पूरी रिपोर्ट का केंद्र बिंदु बलात्कार व यौन हिंसा की शिकार महिला की अस्मिता, स्वायत्तता व स्वतंत्रता को बचाने की है। इसके लिए चुनाव कानून, नीतियां, आपराधिक कानून व 1958 के आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर) कानून आदि में व्यापक सुधारों का सुझाव दिया है और ऐसे महिलाओं व बच्चों के लिए सुरक्षा देने वाले स्थान व प्रावधानों को बना सकें। संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता व सम्मान का सिद्धांत सर्वोपरि हैं। सांस्कृतिक पक्षपात पर आधारित व्यवस्था समाप्त होना चाहिए। कमेटी ने नाज फाउंडेशन फैसले को पुनः दोहराते हुए यौनिक स्थितियों को संविधान की धारा 15 के संदर्भ में रखा है। हर इंसान की स्वतंत्रता, सम्मान व समानता को मूलभूत माना है।

महत्वपूर्ण फैसलों पर ध्यान आकर्षित करते हुए मथुरा केस व बलात्कार की शिकार महिला को शर्म व प्रतिष्ठा के जाल में, पैरवी में व खाप पंचायतों द्वारा उलझाए जाने पर कमेटी ने कहा है ''महिला को शर्म व प्रतिष्ठा के दुष्चक्र में ऐसे फंसाया जाता है कि महिला अपने साथ होने वाली यौन हिंसा की शिकायत दर्ज करने में ही अक्षम महसूस करती है।'' बलात्कार की परिभाषा को यौनिक आक्रमण के व्यापक संदर्भ में पुनः परिभाषित करने की बात कही गई है। जिससे महिला के अस्तित्व व शारीरिक अस्तित्व के अधिकार की रक्षा हो सके। बलात्कार में वह सब शामिल है जो यौनिक प्रवृत्ति के क्रियाकलाप हैं। यौनिक आक्रमण के अपराध में पुरुष लिंग का महिला शरीर में प्रवेश के अलावा यौनिक तरीके से शरीर को छूना शामिल है। विवाह में यौन हिंसा पर उम्र की सीमा को पूरी तरह समाप्त करने का सुझाव दिया ताकि महिला की स्वायत्तता व शारीरिक स्वायत्तता बरकरार रह सके। विवाह कोई ऐसा आधार नहीं है जो महिला की शारीरिक स्वायत्तता समाप्त कर दे। यह सहमति से जुड़ा मुद्दा भी नहीं है ताकि बलात्कार के मामले में सजा देने में कोई दिक्कत नहीं आए। साथ ही कमेटी ने यह सिफारिश की कि सहमति से यौन संबंध की उम्र 16 रखी जाए और इससे संबंधित अन्य कानूनों को परिवर्तित किया जाए।

कश्मीर, उत्तरी पूर्वी राज्यों, छत्तीसगढ़, गुजरात और अन्य क्षेत्रों से जहां सांप्रदायिक व अन्य संघर्ष चल रहे हैं वहां सशस्त्र सेना, पुलिस व पेरा मिलिट्री व अन्य लोगों द्वारा सामूहिक आक्रमण व यौनिक आक्रमण हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले मानवाधिकार संगठनों ने मांग की कि इन्हें सामूहिक यौनिक आक्रमण की श्रेणी में डाला जाए। इस पर कमेटी ने ध्यान दिया और सुझाव दिया कि इस तरह के यौनिक आक्रमण को कानून भयानक यौनिक आक्रमण माना जाए और एएफएसपीए1958 की धारा 6 में संशोधन किया जाए। इस धारा में यौनिक आक्रमण के आरोपी पर केस चलाने में पहले इजाजत लेनी पड़ती है।

जारी

न्यायहित में संवेदनशील व प्रतिबद्ध पुलिस का होना बहुत जरूरी है परंतु यह कैसे होगा। कई आयोग इसकी सिफारिश कर चुके हैं। कई कोर्ट केस में फैसले हो चुके हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार इतना ही कर ले कि कमेटी द्वारा पुलिस सुधार पर लिखे अध्याय को पढ़ ले। क्रियांविति तो दूर की बात है तो भी बड़ी बात है।

दिल्ली केसः– 16 दिसंबर को 23 वर्षीय नौजवान छात्रा के साथ बलात्कार व उसकी मृत्यु ने बलात्कार के मामलों में सजा के प्रश्न को उठाया। कमेटी ने मृत्युदंड व नपुंसकता के दंड को अस्वीकार किया। 7 साल की सजा को 10 साल में बदला और अधिकतम जीवन भर जेल में रखने की सजा की सिफारिश की। किशोरावस्था की उम्र 18 से घटाकर कम करने के प्रश्न पर कमेटी ने इंकार कर दिया। किशोर उम्र को कम करने की बात महिला व बच्चों के साथ काम करने वाले संगठनों को भी स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि दिल्ली बलात्कार केस में एक किशोर शामिल है। इस रिपोर्ट में वर्तमान में विद्यमान आपराधिक कानून में परिवर्तन की व्यापक सिफारिशें की हैं। इस रिपोर्ट की महत्ता इस बात में नहीं है कि कानून एकदम बदल जाएगा या शासन व्यवस्था सुधर जाएंगी। हालांकि इन दोनों की सख्त जरूरत है। इस रिपोर्ट का महत्व इस कारण है कि इसने संविधान व आपराधिक कानून को समझने व जानने का एक नया आधार दिया है। जिसके केंद्र में जेंडर है जो कानून के लिए सीखने की बात है। *(लेखिका काउंसिल फॉर सोशल डवलपमेंट, हैदराबाद की प्रोफेसर व डायरेक्टर हैं) (अनुवादः रेणुका पामेचा)*

(विविधा फीचर्स)

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

अनाज नहीं नकद खाइए

• सचिन जैन •

बड़ी हलचल है। प्रचार हो रहा है हम आधार से आपको पहचान देंगे और अब आपको परेशानी न होगी, क्योंकि अब आपको सेवाओं के बदले नकद राशि देंगे। आप पहचान के लिए विशेष पहचान क्रमांक लीजिए और हम आपको फायदा देंगे। रुकिए! यह भी जान लीजिए कि आधार पंजीयन का मतलब यह नहीं है कि आपको योजनाओं का लाभ मिल ही जाएगा। सच यह है कि अब अपने आपको पात्र साबित करने के लिए यह एक अतिरिक्त अनिवार्यता है। इस अनिवार्यता को पूरा करके आप योजना का लाभ लेंगे और हमारी गुप्तचर व्यवस्था की जद में आ जाएंगे। मुझे पता है, यह बात आपके पल्ले न पड़ी होगी। बिलकुल! बात बहुत ही उलझा दी गई है। बात यह है कि सरकार अलग अलग योजनाओं में नकद हस्तांतरण लागू कर रही है और उनका लाभ पाने के लिए विशेष पहचान लेना जरूरी होगा। इस लंबे आलेख में हम इन दोनों विषयों को जोड़ कर देखने की कोशिश करेंगे।

पहले सरकार ने यह कहा था कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नकद हस्तांतरण की व्यवस्था लागू नहीं करेंगे परंतु राजस्थान के कोटकासिम में सरकार ने प्रयोग के रूप में यह तय किया कि राशन की दुकान से सस्ते में केरोसीन देने के बजाए हम सब्सिडी की राशि हितग्राहियों के खाते में डाल देंगे। जो निर्धारित राशि हितग्राही देते हैं, वह हितग्राही देते रहेंगे और शेष सरकारी सब्सिडी की राशि सरकार उनके खाते में डालती रहेगी। वे बैंक से इस राशि को निकाल कर दुकानदार को देंगे। हितग्राहियों को बाजार भाव से केरोसीन का भुगतान करना तय किया गया। इसका आशय यह है कि हितग्राहियों के बैंक खाते होने चाहिए। बैंक बहुत दूर नहीं होकर लोगों की पहुंच में होना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि 80 फीसदी हितग्राही राशन की दुकान से तीन महीनों से केरोसीन ही नहीं ले पाए, क्योंकि उनके खाते नहीं खुले थे। और जिनके खुल भी पाए उन्हें राशि के आहरण के लिए 15 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रही थी। ज्यादातर लोगों को सब्सिडी की राशि निकालने के लिए बैंक के तीन से छह चक्कर लगाने पड़े। वहां प्रशासन और राशन डीलर हितग्राहियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझ ही नहीं रहे थे और उन्होंने बिना केरोसीन दिए कई लोगों को वापस भेजा।

एक दूसरा प्रयोग आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में हुआ। इस जिले में बंदरगाह है। अलग अलग पदों पर 5 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ हैं। वहां एक प्रतिबद्ध अधिकारी ने 50 राशन की दुकानों पर होने वाले पायलट के लिए दो साल दिन रात तैयारी की। जिले के सभी लोगों को आधार पंजीकरण के लिए उन्हें बार बार जद्दोजहद करनी पड़ी। उन्होंने हर राशन कार्ड और हितग्राही की जानकारी वाली प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की। हर राशन की दुकान पर डिजिटल हितग्राही पहचान मशीन लगी, जिस पर हितग्राही को हर बार अपने हक का राशन लेते समय अपनी उंगली का निशान देना पड़ता है। निशान का मिलान होने पर मशीन ध्वनि के जरिए यह सूचना देती है कि हितग्राही को कितना राशन मिलेगा और उसे कितनी राशि का भुगतान करना है। यह जबरदस्त कौशल और जिम्मेदारी से किया गया जबरदस्त तकनीकी प्रयोग था। पर अनुभव जब आने शुरू हुए तो पता चला कि व्यवस्था सरकार की जवाबदेहिता से ही ठीक हो सकती है, केवल मशीनें सब कुछ नहीं सुधार नहीं सकती हैं। पूर्वी गोदावरी में पता चला कि हितग्राहियों के यूआईडी नंबर की गलत एंट्री हो गई हैं। राशन कार्ड और यूआईडी नंबर का मिलान नहीं हो रहा है। कई मर्तबा मशीन लोगों की उंगलियों के निशान स्वीकार नहीं करती हैं। वहां इन कारणों के कारण होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए प्रशासन और राशन डीलर संवेदनशीलता के साथ कोशिश करते रहे। फिर भी पता चला कि कई बुजुर्गों की उंगलियों के निशानों का मिलान नहीं हुआ। लोग नाम आंखों से राशन लिए बिना बार बार घर लौटे। सवाल यह कि मशीन क्या सच में मानवीय परिस्थितियों को महसूस कर सकती है? एक तरह से योजनाओं का लाभ दे रही सूची में से गरीबों की संख्या को कम करने की यह एक नई योजना है। जिनके आधार पंजीयन नहीं होंगे, उन्हें योजना की सूची में से फर्जी हितग्राही कह कर बाहर निकाल दिया जाएगा, जिनके उंगलियों के निशान का मिलान न होगा, उन्हें फर्जी हितग्राही कह दिया जाएगा।

तीसरा प्रयोग मध्यप्रदेश में अपने आप हो गया। राशन प्रणाली में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आधार पंजीयन सहित फूड कूपन की योजना लागू की गई। यह पूरा काम एक साथ ठेके पर तीन बड़ी कंपनियों को ठेके पर दे दिया गया। बताया यह गया कि इस काम के लिए ये कंपनियां कोई राशि नहीं ले रही हैं जबकि वास्तविकता यह थी कि इन कंपनियों से 78 माह

जारी

का अनुबंध किया गया। इस अवधि के दौरान उन्हें आठ सौ करोड़ की राशि दिया जाना तय हुआ। ईड एन रेड कंपनी ने यह आकलन किया कि हर माह मध्यप्रदेश में राशन व्यवस्था पर 241 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जिसमें से 72 करोड़ रुपए मासिक यानि 864 करोड़ रुपए का सालाना भ्रष्टाचार होता है। हम केवल 108 करोड़ रुपए लेकर इस भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। बाद में यह खुलासा हुआ कि इन कंपनियों को ठेका देने में ही भ्रष्टाचार हुआ है। मध्यप्रदेश में भी राशन की व्यवस्था में आधार पंजीयन को अनिवार्य बनाया जा रहा है।

इन अनुभवों से पता चलता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं में हो रहे बदलावों की राजनीति को हमें समझना होगा और अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। हम मानते हैं कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि हकों के बदले नकद का प्रावधान नहीं होना चाहिए। और जिन योजनाओं में नकद राशि ही हक है वहां यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लोगों को बिना विलंब और बिना भ्रष्टाचार उनके हक मिलें। इस तरह की प्रक्रिया से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा और कल्याणकारी योजनाओं का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। इन प्रयासों से योजनाओं के क्रियांवयन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। आधार प्राधिकरण यह दावा कर रहा है कि आधार पंजीयन से राशन व्यवस्था को जोड़ने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। यह प्राधिकरण यह नहीं जानता है कि बिना आधार के कंप्यूटरीकरण के द्वारा छत्तीसगढ़ में राशन का भ्रष्टाचार 50 फीसदी से घट कर 10 फीसदी और उड़ीसा में 75 फीसदी से घट कर 30 फीसदी पर आ गया। वास्तविकता यह है कि राशन प्रणाली में व्याप्त गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए व्यवस्थागत सुधार की जरूरत है। गलत गरीबी के आकलन, राशन डीलरों को कम कमीशन मिलने, सामुदायिक निगरानी न होने, स्थानीय स्तर पर खरीदी और भंडारण न होने, लोगों की शिकायतों पर कोई कार्यवाही न होने के कारण इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता है। इन गड़बड़ियों को दूर करने के बजाए, सरकार ने सोचा है कि आधार पंजीयन और नकद हस्तांतरण को लागू करके भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। आप भी सोचिए क्या यह संभव है?

सरकार पर शंका इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वे अपने कहे पर अडिग नहीं रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अप्रेल 2001 से लगातार यह मामला उठा रहा है कि राशन व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। इसी मामले पर न्यायमूर्ति डीएस वाधवा भी अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। संकट यह है कि जिस योजना में 30 प्रतिशत सरकारी धन भ्रष्टाचार में चला जाता है, उस योजना में इस अपराध को गैर–जमानती अपराध नहीं माना जाता है। निगरानी समितियों में विधायकों को रखा जाता है, जबकि यह बार बार साबित हुआ है कि राजनीतिक दलों की दखलंदाजी के कारण सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। वास्तव में सरकारों की मंशा ही साफ नहीं रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को हमेशा ज्यादा महत्व दिया है। इसके दूसरी तरफ सरकार की यह नीति रही है कि व्यवस्था सुधारने के बजाए, उसे इतना कमजोर हो जाने दो, कि उसे बंद करने के लिए माहौल बन जाए। इससे सरकार खाद्य सब्सिडी को कम कर सकेगी। वास्तव में सस्ते राशन की व्यवस्था का उदाहरण केवल एक योजना के रूप न देखा जाए वास्तव में यह उदाहरण है कि राज्य की किसानों, गरीबों और वंचित समुदायों के प्रति क्या संवैधानिक जिम्मेदारी है? और क्या राज्य सच में उनके प्रति जवाबदेय है या महज छलावे का काम राज्य करता है और लोगों को छोड़ देता है बाजार की आतंक के हवाले। *(साभारः डेली राजस्थान डॉट कॉम)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

जनता के लिए न्याय

• मूल लेखः बिजयंत 'जय' पांडा •

1987 में विधि आयोग ने भारत में न्यायाधीशों की कम संख्या पर गहरी चिंता जताई थी। हमारे यहां 1 लाख जनता पर 11 न्यायाधीश है जबकि विकसित देशों में एक लाख पर 100 न्यायाधीशों का मानदंड है। विधि आयोग ने यह सिफारिश की कि कम से कम 50 तो तुरंत होने चाहिए और 2000 तक यह 100 होने चाहिए। 25 साल बाद भारत में यह संख्या 11 से बढ़कर 13 हुई है। इस कारण इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत में 3 करोड़ से ज्यादा मामले न्यायालयों में विचाराधीन है। इनमें से 3 लाख तो 10 से भी ज्यादा सालों पुराने हैं।

हालांकि देर से न्याय होने के अन्य भी कई कारण है परंतु इतने मामले और इतने कम न्यायाधीशों का होना बहुत बड़ा कारण है। न्यायिक व्यवस्था धीरे धीरे इतनी अस्त व्यस्त होती जा रही है कि बलात्कार व हत्या जैसे अत्यंत गंभीर मामले भी सालों साल पड़े रहते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। उस विरोध प्रदर्शन के बाद तुरंत जल्दी जल्दी में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की घोषणा हुई और साथ ही विधि मंत्रालय ने पूरे देश में फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए 2000 न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की। हालांकि कई बार संदेह होता है फिर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय व्यवस्था में अंतर आएगा। ऐसे कई उदाहरण है जहां सालों साल लगने के बजाए कुछ महीनों में कई बलात्कार के मामलों में फैसले हुए। विरोधाभास यह है कि अभी तक सरकार स्वयं फास्ट ट्रैक कोर्टस के बारे में ज्यादा उत्साहित नहीं थी जबकि 2001 से जब से इन न्यायालयों का गठन हुआ तब से इनको सौंपे गए मामलों में से 85 प्रतिशत मामलों को सुलझा लिया गया। इतनी सफलता के बावजूद भारत सरकार ने इन न्यायालयों को दी जाने वाले बजट को बंद कर दिया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एतराज किया तब पुनः चालू किया। परंतु इस बीच 1700 में से 1200 कोर्ट ही अस्तित्व में रहे जबकि भारत के हर जिले में 5 इस तरह के न्यायालय खोलने थे।

कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की मदद बंद हो जाने के बाद भी अपने बजट से इन न्यायालयों को चलाए रखा परंतु ज्यादा नहीं चल पाए क्योंकि बजट मुख्य समस्या थी। अगर भारत को 1 लाख पर 50 न्यायाधीशों के मानदंड पर पहुंचना है तो काफी लंबे चौड़े बजट की आवश्यकता है। इस पूरी व्यवस्था में प्रतिवर्ष 32 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। इसकी तुलना निम्न खर्चों से करने की जरूरत हैः किसानों की ऋण माफी में 60000 करोड़, 2008 में नरेगा में खर्च हुए 33 हजार करोड़, 44 हजार करोड़ पेट्रोल सब्सिडी में व 75 हजार करोड़ खाद्यान्न सब्सिडी में पिछले साल खर्च हुए। मतदाता को न्याय के लिए आश्वस्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है परंतु किसी भी सरकार ने इस दिशा से कभी नहीं सोचा। इस कारण अब प्रतिवर्ष 32000 करोड़ अतिरिक्त खर्च के बारे में कोई निर्णय लेंगे ऐसा नहीं लगता है। व्यवस्था में दूसरी महत्वपूर्ण कमी पुलिस की कमी की है। उच्च स्तर की न्यायपालिका में कोलिजियम पद्धति से चयन के कारण कई पद खाली हैं और न्यायाधीशों द्वारा बार बार स्थगन देने की आदत ने भी न्याय व्यवस्था को गड़बड़ा दिया है। परेशान, पीड़ित नागरिक के लिए न्यायिक व्यवस्था अंतिम पड़ाव है। व्यवस्था में सुधार के लिए हमें आश्वस्त करना होगा कि न्याय जल्दी भी होगा और मिलेगा भी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं परंतु इस बात पर जोर दिया है कि मूल समस्या की जड़ है। इस बात को भी इंगित किया कि केवल शीघ्र न्याय मिलना सम्मान से जीवन जीने का हक नहीं मिल जाता है बल्कि वह सिर्फ कानून की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। यह ठीक है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट महत्वपूर्ण है परंतु यह सारी बीमारी का हल नहीं है। अगर न्यायालय बार बार स्थगन न दे तो भी शीघ्र न्याय संभव है। पूरी न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति व पैसों की जरूरत है। यह सबसे अच्छी व्यवस्था होगी कि सारे न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्टस की तरह काम करें और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करें।

अभी दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर तुरंत काम करने की आवश्यकता है। एक राजनीति के आपराधीकरण को रोकना व दूसरा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकना। इसके लिए कुछ फास्ट ट्रैक कोर्टस तुरंत प्रारंभ हों जो अपराधी राजनीतिज्ञों के मसलों पर फैसला करें और महिलाओं पर हो रही हिंसा के मामलों पर शीघ्र फैसला दें। *(लेखक लोकसभा सांसद हैं) (अनुवादः रेणुका पामेचा)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

आधार कार्डः झूठे जग भरमाय

• भंवर मेघवंशी •

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के समर्थक दावा करते हैं कि आधार कार्ड के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन अगर आधार कार्ड बनाने में ही फर्जीवाड़ा होने लगे तो ? जी हां, पिछले दिनों राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में ऐसा ही मामला उजागर हुआ। शहर के आजाद नगर क्षेत्र में 22 जनवरी को पुलिस ने एक युवती राधिका को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर आरोप है उसने नीतू सुथार तथा महेंद्र लाल इत्यादि से आधार कार्ड बनवाने के लिए 200–200 रुपए ले लिए। आधार के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही इस महिला की हरकत के उजागर होने के बाद कुछ लोगों ने इसकी शिकायत एडीएम टीकमचंद बोहरा से की। एडीएम बोहरा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तथा महिला से मामले की जानकारी ली। पुलिस की पूछताछ से पता चला कि पैसा वसूल रही युवती राधिका आधार पंजीयन करने वाले ठेकेदार के यहां मशीन ऑपरेटर है। तो यह स्थिति है आधार कार्ड बनाने के दौरान की। अब जो आधार फर्जीवाड़े से शुरू हो रहा है वह भ्रष्टाचार को कैसे रोकेगा। यह विचारणीय प्रश्न है।

दूसरी चौंकाने वाली सच्चाई यह सामने आई कि राजस्थान सरकार ने बीपीएल लोगों को आधार कार्ड बनवाने पर मिलने वाले सौ रुपए प्रति व्यक्ति प्रोत्साहन देने की राशि को ही दबा लिया, जिससे गरीबों का हक मारा गया। जानकारी के मुताबिक इस केंद्रीय योजना के लिए वित्त आयोग ने कुल 2989.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। यह राशि वर्ष 2004–05 की बीपीएल जनसंख्या के आधार पर तय की गई थी। राजस्थान को भी इसमें से 134.9 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, मगर राज्य सरकार ने राज्य में इसे लागू ही नहीं किया। इस प्रकार आधार कार्ड बनवाने वाले प्रत्येक परिवार को औसतन 400–500 रुपए का नुकसान हो गया। अब सरकार कह रही है कि वह जल्दी ही इस योजना को लागू करेगी लेकिन सवाल यह है कि अगर समाचार पत्रों ने इस गड़बड़झाले को उजागर नहीं किया होता तो यह योजना सामने ही नहीं आ पाती। आधार कार्ड को हर योजना को लागू करने की जीवन रेखा बता रहे लोग इसका क्या जवाब देंगे कि आधार कार्ड बनवाने के लिए जो योजनाएं बनाई गईं, वे ही लागू नहीं की जा रही तो इस आधार पर दूसरी योजनाओं की सफलता कैसे सुनिश्चित हो पाएगी? तीसरी बात यह है कि सरकार ने विशिष्ट पहचान पत्र (आधार कार्ड) बनाने को ऐच्छिक माना है। उसका दावा है कि यह अनिवार्य नहीं है लेकिन सरकारी दावे के विपरीत गरीबों को यह कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने वक्त रहते आधार कार्ड नहीं बनवाया तो उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। यहां तक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जिनका आधार कार्ड नहीं होगा उन्हें वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा। भीलवाड़ा में तो कांग्रेस का जिला मुख्यालय आधार कार्ड बनाने का कार्यालय बन चुका है। वैसे तो सत्तारूढ़ दल का कार्यालय कार्यकर्ताओं की आमद के लिए तरसता रहा है मगर आजकल जिलाध्यक्ष एक कमरे तक सिमट गए हैं तथा पूरे कार्यालय में आधार ही आधार दिखाई पड़ेगा। जिले में पार्टी इस प्रकार अपना 'जन आधार' बढ़ा रही है!

आधार कार्ड बनवाने की ऐच्छिकता तो कोरी बयानबाजी ही है। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर उन्हें वेतन चाहिए तो आधार कार्ड का नंबर लगाना होगा। इसी प्रकार गैस एजेंसी के संचालक कह रहे हैं कि रसोई गैस के लिए आधार कार्ड का नंबर देना आवश्यक है। अगर आधार कार्ड और उससे लिंक बैंक खाते की जानकारी नहीं दी गई तो उपभोक्ताओं के खाते में गैस अनुदान राशि नहीं पहुंच पाएगी। भीलवाड़ा के अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) टीकमचंद बोहरा का कहना है कि 1 अप्रेल से जिले में नकद हस्तांतरण योजना लागू की जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए आधार कार्ड बनवाना ही होगा। इसी प्रकार राज्य के मुख्य सचिव सीके मैथ्यू का कहना है कि एक अप्रेल से बिना आधार कार्ड व बैंक खाते के राज्य की 18 योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार के फरमान यह साबित करने के लिए काफी है कि आधार कार्ड बनवाना ऐच्छिक न होकर अनिवार्य कर दिया गया है।

आधार कार्ड बनवाने में आ रही चुनौतियों पर विचार किए बिना ही इसे अनिवार्य कर देना गरीबों को उन्हें मिलने वाले फायदों से वंचित करने की रणनीति का हिस्सा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, श्रम, शिक्षा, रोजगार, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग की जननी सुरक्षा योजना, घरेलू गैस सब्सिडी, अजा, जजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजनाएं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली वस्तुओं सहित कुल 18 योजनाओं को राज्य सरकार आधार से जोड़ रही हैं। सरकार 'प्रलोभन' देकर अथवा 'भय' दिखाकर हर हाल में 'आधार कार्ड' बनवाने पर तुली हुई है। सवाल यह है कि क्या एक कार्ड गरीबों की सब समस्याओं को खत्म कर देगा अथवा सरकार गरीबों की विशिष्ट पहचान बनाकर धीरे धीरे उन्हें खत्म कर देगी ? *(लेखक मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ कार्यरत हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

जनता को मिला सुनवाई का अधिकार

• कमल टांक व मुकेश गोस्वामी •

आजादी से पहले अंग्रेजों का शासन था जहां गोरे शासक, काले अफसरों के साथ मिलकर भारतीयों का शोषण करते थे। उस समय शासक व अफसर मनमाने रूप से कार्य करते थे। क्योंकि कानून बनाने वाले भी वे ही थे और शासन चलाने वाले भी वे ही। चाहे कानून माने या ना माने या मनमाने रूप से कार्य करे उन्हें कोई कुछ भी कहने वाला नहीं था। आम नागरिक उनके अत्याचारों व शोषण के खिलाफ शिकायत किसे करते ? कोई भी उन्हें सुनने वाला नहीं था। लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमें आजादी तो मिली परंतु शोषण व अत्याचार का तांडव निरंतर चलता रहा। आजादी के 67 साल बाद भी आम जनता की सुनवाई नहीं होती है। देश की 60 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है जो अपने छोटे छोटे कानूनी हकों के लिए अफसरों व नेताओं के चक्कर काटते रहते है। दूसरी तरफ शहरों के हाल भी खराब ही है। यहां पर हर आदमी किसी न किसी की सिफारिश से या दलालों के जरिए अपना कार्य करवाता है।

हमारे देश में विश्व का बेहतरीन संविधान है जिसमें आम जनता को कई प्रकार के कानूनी हक मिले हैं परंतु वास्तव में यह हक जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। अब जनता इसके लिए कहां शिकायत करें और कौन करेगा इनकी सुनवाई। पूरे देश के लिए यह एक सवाल है ? भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी सिंह जब राजस्थान के राजसमंद जिले की देवगढ़ पंचायत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा आयोजित जन सुनवाई में आए तो बोले ''इस देश की समस्या है कि यहां सुनवाई नहीं होती है।'' 2012 के बजट सत्र में राजस्थान सरकार ने सुनवाई का अधिकार अधिनियम पास किया जो 7 जून 2012 से लागू हुआ है जिसमें आम नागरिकों के प्रत्येक मामलों की सुनवाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया है।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम :– राजस्थान सरकार ने सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान एवं मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय शिकायत निवारण बिल से कुछ बातों को इसमें जोड़ा हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जन सहायता केंद्र, एकल खिड़की की व्यवस्था आदि। राजसमंद जिले में इसे लागू किया है और इसके लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ मिलकर 4 ग्राम पंचायतों में लोक सुनवाई अधिकार के तहत शिविरों का आयोजन भी शिकायत हो, या सेवा हो जो सरकार प्रदान करती है उन सबके लिए नागरिकों से आवेदन लिए गए और उनको लोक सुनवाई अधिकार के तहत रसीद दी गई। उसके बाद क्लीयरिंग अधिकारी ने उन सभी आवेदनों को जो विभिन्न विभागों से संबंधित थे उन विभागों एवं कार्यालयों को भेजा दिया गया। शिविर में आने वाले सभी शिकायतकर्ताओं को दी गई रसीद में ही उनकी होने वाली सुनवाई की तारीख एवं उसका स्थान भी दिया गया। वैसे राजसमंद जिले में सुनवाई के लिए सभी स्तर के विभागों एवं कार्यालयों में जिस सप्ताह शिकायतें प्राप्त होती हैं उसके अगले सप्ताह के शुक्रवार को सुनवाई रखी जाती है। जिसकी एक विशेषता यह भी है कि पंचायत स्तर के मामलों के लिए ग्राम पंचायत पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एवं पंचायत समिति स्तर की सभी विभागों एवं कार्यालयों की सुनवाई हेतु पंचायत समिति स्तर पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर ही सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी बैठकर सुनवाई करते है। शिकायतकर्ता को भी अपनी बात सुनवाई के दौरान रखने का हक है और लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा उसका निर्णय सुनाकर उसकी प्रतिलिपि दे दी जाती है या फिर सुनवाई के बाद 7 दिन के अंदर उसे डाक द्वारा लिखित जवाब भेजा जाता है। अधिनियम अनुसार 15 दिन में सुनवाई एवं 21 दिन के अंदर लिखित जवाब दिए जाने का प्रावधान है और इससे भी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो तो प्रथम एवं द्वितीय अपील में जा सकता है। द्वितीय अपील अधिकारी लोक सुनवाई अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी पर कम से कम रुपए 500 और अधिकतम 5000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है और विभागीय जांच की कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

जन सहायता केंद्र एवं एकल खिड़की की स्थापना :– राजसमंद जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एक लोक सुनवाई हेतु एकल खिड़की एवं जन सहायता केंद्र की स्थापना की गई है और उसके बाहर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। यह खिड़की एवं जन सहायता केंद्र आम लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं क्योंकि गांव का गरीब व्यक्ति एवं शहर का गरीब व्यक्ति ज्यादातर संख्या में अनपढ़ होते है इसलिए कोई भी शिकायत लिखाने के लिए वकीलों के चक्कर काटते है। जिसमें उनका बहुत धन एवं समय की बर्बादी होती है, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक बनाए गए जन सहायता केंद्र आम लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्व हो रहे हैं। राजसमंद

जारी

जिले की ग्राम पंचायतों में अपनाए गए मॉडल को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जाए तो यह लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और सही अर्थों में लोग सुनवाई अधिकार को सार्थक कर सकेगा। संयुक्त राष्ट्र की भारत में स्थित समस्त एजेंसियों की समंवयक लिस ग्रेंड ने राजसमंद की कालादेह पंचायत का दौरा कर सुनवाई के अधिकार कानून को समझा और मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों के द्वारा इस कानून के उपयोग में लेने की प्रक्रिया की जानकारी भी ली। साथ ही प्रशासन गांवों के संघ अभियान में शामिल हुई और कहा कि दूसरे देशों में जनता प्रशासन के पास जाती है लेकिन राजस्थान में प्रशासन गांवों के पास आकर उनकी समस्याओं को दूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजसमंद में जिस तरह से सुनवाई के अधिकार कानून की पालना हो रही है वह बहुत ही अद्भुत हैं। मैं इस तरह के कानून व कार्य की चर्चा को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) 194 देशों में करुंगी और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों देशों में भी ऐसी व्यवस्था हो इसके लिए पैरवी करुंगी। प्रशासन ने कालादेह पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन पटवार भवन, व राशन की दुकान आदि पर जनता के हकों व अधिकार की जानकारियों की दर्शाया जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत हितधारियों को मिली राशि व सामग्री का वितरण नाम सहित स्पष्ट लिखा था और साथ ही विकास योजनाओं के तहत निर्माण कार्य व उनके खर्च राशि का विवरण भी अंकित किया गया था। महत्वपूर्ण योजनाएं जैसेः– इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची का दीवार पर लिखा जाना आदि। *(लेखकद्वय सूचना का अधिकार मंच से जुड़े हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

नेता,नेतृत्व और नेतागिरी

• गोपालकृष्ण गांधी •

*सूचना के जनअधिकार के राष्ट्रीय अभियान के संस्थापक व वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अजीत भट्टाचार्यजी की स्मृति में प्रथम व्याख्यान का आयोजन 1 फरवरी 2013 को जयपुर में किया गया। यह व्याख्यान प्रख्यात वक्ता व पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी द्वारा दिया गया। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद में 'नेता, नेतृत्व और नेतागिरी' विषय पर व्याख्यान दिया। उनके व्याख्यान के कुछ अंश विविधा फीचर्स के इस अंक में दिए जा रहे हैं–***संपादक**

नेता बना नहीं जाता। नेता हुआ जाता है। नेता चुना नहीं जाता। नेता हुआ जाता है। और तब भी नेता खुद को नेता नहीं कहता। औरों से नेता कहलाए जाने पर उस संज्ञा को स्वीकार कर उस तरह उतार देता है जैसे कोई फूलों की माला को कुबूल करके पहनते नहीं रहता , आदर–पूर्ण बगल पर रख देता है। हमारे स्वाधीनता संग्राम में कोई महात्मा था तो कोई पंडित। एक मौलाना था तो दूसरा सरदार। एक को बादशाह कहलाया जाता था तो दूसरे को आचार्य। पंडितजी की उपाधि मिली थी उनको स्नेहादर में। सरदार को सारा देश सरदार बुलाता था। सुभाष चंद्र बोस को देश नेताजी मानता था। वे खुद को नेताजी नहीं कहते थे। शहीद जो होता है, वह शहादत के बाद शहीद कहलाता है। किसी जीवित शहीद को हमने नहीं देखा है। नेता भी, जीवित नेता भी, एक अर्थ में शहीद होता है। वह त्यागी होता है स्वार्थ का। त्यागी होता है महत्वाकांक्षा का। जिन नेताओं का मैंने जिक्र किया उन्हें यह मालूम नहीं था के उन्हें कामयाबी मिलेगी भी या नहीं। पदों और सत्ता की तो बात ही नहीं थी। वे त्यागी थे। अब सिलसिले बदल गए हैं। तब नेता गरीब थे, नेतृत्व अमीर था। अब नेता गरीब नहीं। नेतृत्व अमीर नहीं। शायद यह भी अपने में प्रगति है। रहनुमाई नहीं रही रहनुमा नहीं रहे। रास्ते दिखलाने वाले नहीं रहे, रास्ते क्या अब सड़कें, चार–चार छह–छह लेनों की खुल गई हैं। तरकी–तरीके बतलाने वालों का जुगाड़ है। नेतृत्व राजनीति कार पर्याय बन गया है। यह ठीक नहीं।

जब हम नेता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नेता शुद्ध राजनीति से परे है और उससे बहुत बड़ा है। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो रास्ता बनाता है जहां पहले से कोई राह नहीं होती है। एक रास्ता जो एक राह तो है, अपने आप में एक दुनिया भी है। एक रास्ता, नई जागरूकता, नई समझ, नया विश्वास जिससे हम अपने अंतरमन और बाहरी दुनिया को सुधारते हैं। आज तक मालूम नहीं की एवरेस्ट की शिखर पर किसके चरण पहले पड़े, तेनजिंग के या हिलरी के। एक के हाथ में पताका थी दूसरे के हाथ में कैमरा लेकिन यह हमें जरूर मालूम है उस चोटी पर दोनों थे, सफल होने के बाद गले मिले। उनकी सफलता में एक बड़ा तथ्य हैः कोई भी जब सफल होता है, तब वह किसी अन्य की अनुमति से, उस की सहायता से सफल होता है। तेनजिंग और हिलारी के बीच में पारस्पर्य था, सलाह थी, विमर्श था। पहले उपाय हुआ करते थे, विमर्श, सलाह, मशवरे। अब कानाफूसी का जमाना है। नेतृत्व दिक्कत में है। उसकी विश्वसनीयता खतरे में है। धन ने सियासत को, और सियासी नेताओं को ऐसा जकड़ लिया है। धन और राजनीति एक सिक्के के दो चेहरे बन गए हैं।

जनता में आक्रोश है। उसका नेताओं से नहीं पर राजनीति से ही विश्वास उठ गया है। अपवाद जरूर हैं। आज भी नेतागण ऐसे मिलेंगे जो की धन के आलिंगन से बचे हुए हैं। हर राजनीतिक दल में मिलेंगे। वे धन्य हैं। पर उनकी संख्या कम है। नेतृत्व ढलान में है। नेतागिरी चढ़ाई में। नेतृत्व रहनुमाई देता है और विश्वास लेता है। नेतागिरी समय के बाजार में विक्रेता है। नेतृत्व सामयिक है, प्रासंगिक है। नेतागिरी अवसरवादी, मौकों की खोज में। नेतृत्व अमूल्य है। नेतागिरी की कीमत होती है। नेत्रीत्व चिरायु है, नेतागिरी की एक्सपायरी डेट होती है। हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा थाः दीर्घम पश्यति माँ ह्रस्वं। दूर की देखो। नेतृत्व दूर की देखता है। नेतागिरी आज की, अगले घंटे की। नेतृत्व ओछेपन से ऊपर रहता है। नेतागिरी ओछेपन में निवास करती है। नेतृत्व का आचार में विश्वास है, वह साफगोई में मानता है। कडवे सत्य को सपाट बोल सकता है। नेतागिरी को प्रचार एतबार है। वह बहु–जिव्हा है, उसको लोकप्रियता चाहिए। नेतृत्व के अनुयायी होते हैं। नेतागिरी के समर्थक। नेतृत्व के शिष्य होते हैं, नेतागिरी के दास। नेतृत्व को बैर से मतलब नहीं। नेतागिरी को बैर के बिना चैन नहीं। नेतृत्व में सिंह की चाल है, नेतागिरी में, आप सोच लें, किसकी।

एक कहानी है, यर्थाथज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध पहली बार कपिल वस्तु अपने अनुयाइयों के साथ आए। यशोधरा और बच्चे राहुल ने उन्हें रॉयल पैलेस की राजबालकनी में से देखा। राहुल ने अपनी मां से पूछा इनमें से मेरे पिता कौन

जारी

है। राजकुमारी ने उनकी तरफ यह कहकर इशारा नहीं किया कि बाएं से पहले या जिनके सिर के ऊपर बाल बंधे हुए हैं फिर ऐसे ही कुछ अन्य पहचान से। उठती हुई धूल की तरफ देखते हुए उसने कहा बेटे तुम्हारे पिता वे हैं जो शेर की तरह चलते हैं। दुनिया में ना तो कोई ऐसा लीडर हुआ और ना होगा उनके जैसा जो कि इस धरती पर पैदा हुए। वो आज भी अपनी मानसिक बदलाव की दृष्टि के कारण नेतृत्व करते हैं। उनके इतने स्पष्ट किरणों की तरह ज्ञान और उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। दक्षिण एशिया के दो नोबल पुरस्कार प्राप्त विद्वान बुद्ध से ही अपनी आंतरिक शक्ति प्राप्त की। उनमें से एक है दलाईलामा और दूसरी है डाऊसुकी। दोनों में एक शेर और शेरनी की शक्ति कहीं छुपी हुई है।

मैंने 1997 में मैरीटजबर्ग में कुछ इस तरह से कहा था और अब भी वो ही कहता हूं। जब करीब 120 साल पहले साउथ अफ्रीका के पीटरमैरीटजबर्ग में एक हिंदुस्तानी को ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया। तब एक हिंदुस्तानी साउथ अफ्रीका में गिरा था लेकिन जो उठा, जो गिरकर ऊपर उठा, तब एक नेता खड़ा था। अपने एक नए विचारधारा के साथ। गांधी को रेल्वे टिकट होने के बाद भी ट्रेन से धक्का दिया गया। इस कारण वे एक ऐसे पहचान के साथ उठ खड़े हुए जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। वह एक यात्री की तरह गिरा था और उठा तो एक क्रांतिकारी। उनका जो वैधानिक दुख था वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। उनकी मानवीय सम्मान की संवेदना ने उन्हें वो मानवमात्र के प्रति और उसके सम्मान के प्रति और मानवमात्र के न्याय के प्रति लड़ने वाला एक नेतृत्व का जन्म दिया। उस क्षण वे साउथ अफ्रीका में ही नहीं पर पूरी अफ्रीका में बदलाव का उदाहरण बना। साम्राज्यवाद की जंजीरों को तोड़ने वाला एक संदेशवाहक बना। उस क्षण नेता ने नहीं नेतृत्व ने जन्म लिया था। पर उस व्यक्ति में तब नेता बनने की ख्वाइश नहीं थी। नेतृत्व करने की भी नहीं। सिर्फ यही की जो मुझ पर हुआ है वह गलत हुआ है और उस को मैं सही करूंगा। नेतृत्व निहत्थी है। नेतागिरी हथियारनुमा। अवैध धन और अवैध हथियार नेतागिरी के साधन हैं। नेतृत्व राजनीति में है, लेकिन सिर्फ राजनीति में नहीं। नेतागिरी का घर राजनीति में है। नेतृत्व सरक की लाल बत्ती पर रुकेगा, नेतागिरी उसको काट जाएगी। नेतृत्व सिद्धांतों पर अचल है। तफ्सीली बातों में वह हठी नहीं। नेतागिरी सिद्धांतों पर सौदा करेगी, तुच्छ बातों पर हठ। जरूरी है की हम यह तत्त्व जान लें। राजनीति में नेतृत्व रहा है, आज भी अपवाद रूप में है, और आगे भी रहेगा लेकिन नेतृत्व राजनीति से ऊपर और उस से आगे है। नेतृत्व का आवास राजनीति में नहीं, ईमान में है। जन–हित के लिए परिकल्पनाओं में है, विचारधाराओं में है। आज जरूरी है की सही नेतृत्व बोले राजनीति के लिए और राजनीति के भीतर से लेकिन साथ ही आवाज उठाए हिंदुस्तान के आम आदमी के हकों के लिए। वह आवाज राजनैतिक हो या न हो, वह नैतिक जरूर हो।

जरूरी है की नेतृत्व अपनी आवाज को फिर ढूंढ निकाले हिंदुस्तान के लुट रहे वनों के लिए, उखरे जा रहे अवैध खानों के लिए, उसके जलाशयों के लिए, उसकी प्रदूषित नदियों और झरनों के लिए। नेतृत्व चाहिए भारत की सामाजिक समस्याओं को, जिन्हें राजनीति ने सुलझाया कम, उलझाया ज्यादा है। आज हमारी 'विविधता में एकता' एक नारा बन कर रह गई है। सत्य तो यह है की 1947 के विभाजन के बाद, तक्सीम–इ–हिंद के बाद, भारत के असंख्य विभाजन हुए हैं। हमारी मानसिकता का विभाजन, जिसके फलस्वरूप भारत का सत्य ही विभाजित हो गया है। आजादी की लड़त में भारत के अनेक सत्य उस संग्राम के होम में लांघ कर प्रवेश हो गए थे। आज वे फिर पृथक हैं। भारत के भारतांशों को नेतागिरियों ने जकड़ रखा है जबकि नेतागिरी खुद धन की, स्वार्थ की, जकड़ में है। नेतृत्व को समाज–भूमि चाहिए, कर्मभूमि। नेतागिरी को समाज–भूमि के टुकड़े चाहिए। एक बात से सांत्वना मिलती है। जनता खुद अपने आप को अपना नेतृत्व देने लगी है। हाल में काठमांडू में 'हिमाल पत्रिका' द्वारा आयोजित समारोह में मैंने अंग्रेजी में कुछ ऐसा ही कहा था। नेतृत्व सिर्फ नेताओं के लिए नहीं ये एक समूह के लिए भी उतना ही लागू होता है। अरुणा रॉय ने नेतृत्व को नेतागिरी की जकड़ से निकालकर जनता के हाथों में पहुंचा दिया है। यह स्वतंत्र भारत की कई उपलब्धियों में से एक है। जिस तरह आरटीआई आंदोलन जनता के मध्य से उभरा है वह नेतृत्व का पूरक और परिचायक बना है। मेरी समझ में अरुणा रॉय ने सही नेतृत्व की जो मिसाल दी है, वह हमारे लिए,हमारे भविष्य के लिए आशा की किरण है। हमें सामाजिक दार्शनिक,पर्यावरण दार्शनिक, वैज्ञानिक दार्शनिक और एक विचारक दार्शनिक और विचारों के नेतृत्व की आवश्यकता है जो खुद भी सक्रियकर्मी हो और किसी गतिविधि को जन्म दें जैसे चंडीप्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। कुछ अत्यंत विलक्षण महिलाओं ने बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व प्रदान किया है। यथाः अरुणा रॉय, मेधा पाटकर, अरुधंती रॉय, सीके जानू, वंदना शिवा।

अजित बाबू की स्मृति में कोई भी व्याख्यान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उल्ख के बिना समाप्त नहीं हो सकता। अजित बाबू का उनसे संबंध घनिष्ट था। वे उनको अपने मन की बात बोलते थे। जयप्रकाशजी के आंदोलन के वक्त एक नारा बराबर सुना जाता थाः अंधेरे में एक प्रकाश जयप्रकाश, जयप्रकाश। आज भी कई बार लगता है कि हम अंधेरे में हैं। यह सही भी है और नहीं भी। सही इसलिए की नेतागिरी ने नेतृत्व को पटरी से उतार–सा दिया है। रुपए का बोलबाला है। नहीं इसलिए की जनता सतर्क है, अपने हकों के लिए और वह खामोश नहीं रहने वाली। उसे और भी सजग होना चाहिए अपने तकाजों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए लेकिन वह सतर्क, सजग अवश्य है। वह अपने प्रकाश से रोशन है। अंधेरे में एक प्रकाश स्वयंप्रकाश, स्वयंप्रकाश लेकिन जरूरी है की उस दीप को नैतिकता का घी–तेल मिले, न की अवसरवादियों का घासलेट। जरूरी है कि नेतागिरी से नेतृत्व उभरे और त्याग भावना से देश की सेवा में लगे। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

हाड़तोड़ मेहनत की कीमत एक रुपया

• बाबूलाल नागा •

इस देश में हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी एक मजदूर को दिनभर की मजदूरी के रूप में एक रुपया दिया जाता है। शायद यकीन नहीं आए, लेकिन यह हकीकत है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की। राजस्थान के धौलपुर व जयपुर जिलों में मनरेगा के तहत काम कर चुके मजदूरों को मजदूरी मिली एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। वहीं अन्य जिलों में मजदूरों को दो से तीस रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी गई है।

धौलपुर जिले की बाड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत इब्राइमपुर में मस्टररोल संख्या 2738 व 2379 के 30 मजदूरों को 6 जुलाई 2012 से 16 जुलाई 2012 तक चले पखवाड़े के दौरान एक रुपया प्रतिदिन मजदूरी दी गई। इसी तरह जयपुर जिले की दूदू पंचायत समिति की बारह पंचायतों में अप्रेल से जुलाई 2012 के बीच कई दिन की मजदूरी एक से तेरह रुपए के बीच दी गई। दूदू ब्लॉक की ग्राम पंचायत नरैना, चैनपुरा, गागरुड, साली, श्रीरामपुरा, धांधरोली, नानण, गंगावती कला, गुढ़ा बैरसल, गैजी, साखून और बिचून ग्राम पंचायतों में अप्रेल, मई व जून 2012 की अवधि के मस्टररोल की पड़ताल करने पर यह तथ्य उजागर हुए। पंचायत बिचून के मस्टररोल में 28 अप्रेल से 12 मई (15 दिन) तक एक रुपया का भी भुगतान नहीं किया गया। इन बारह पंचायतों में जेसीबी से काम होने के कारण नरेगा मजदूरों को एक से तेरह रुपए रोजाना मजदूरी ही दी गई। इसके अलावा उदयपुर जिले के झाड़ोल, गिर्वा, कोटड़ा, बारां के किशनगंज व शाहाबाद, राजसमंद के आमेट, रेलमगरा, बांसवाड़ा के घाओल व धौलपुर के बाड़ी ब्लॉक की 35 ग्राम पंचायतों में 2350 नरेगा मजदूरों को 1 से 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी गई। जिन मजदूरों को एक से तीस रुपए मजदूरी दी गई है उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों से हैं। ये मजदूर आदिवासी इलाकों से हैं। कम मजदूरी मिलने के कारणों की वजह से ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की संख्या मनरेगा के प्रति लगातार घटती जा रही है। यह राज्य में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को इतनी कम मजदूरी का भुगतान किया गया। ऐसा ही मामला वर्ष 2010 में आया था जब टोंक जिले की उनियारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रूपवास के गुदलिया गांव के निन्यानवें मजदूरों को एक रुपया प्रतिदिन मजदूरी मिली थी। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे।

मनरेगा में समूह आधारित व्यवस्था होती तो मजदूरों को कम मजदूरी नहीं मिलती। राज्य सरकार काम को नापने की समूह आधारित व्यवस्था को लागू ही नहीं कर रही है और यूंही मनरेगा में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा समूहवार नपती व्यवस्था बिठाने के लिए कई आदेश निकाले। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के साथ किए समझौते में भी समूहवार नपती व्यवस्था अतिशीघ्र लागू करने की बात लिखित रूप में कही थी। इसके बाद भी राज्य सरकार यह व्यवस्था लागू नहीं कर पाई है। सरकारी सिस्टम द्वारा समूहवार नपती व्यवस्था को जानबूझ कर फेल किया जा रहा है। यहीं कारण है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जा रही है।

मनरेगा में मजदूरी बढ़ने के बाद भी राज्य के मनरेगा मजदूरों के साथ छलावा ही हो रहा है। राज्य में औसत मजदूरी भुगतान प्रति श्रमिक प्रतिदिन 102 रुपए है जबकि राज्य में नरेगा की न्यूनतम मजदूरी 133 रुपए है। आज भी न्यूनतम मजदूरी से 30 प्रतिशत कम मजदूरी मिलना बहुत घातक है। केंद्र सरकार ने कोर्ट की अवहेलना करते हुए न्यूनतम मजदूरी देने से भी इंकार किया और राज्य सरकार मनरेगा के तहत निर्धारित दर से भी कम मजदूरी देकर लोगों को मनरेगा से दूर कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान की न्यूनतम मजदूरी 147 रुपए है जिसको 166 रुपए प्रतिदिन बढ़ाने की घोषणा की जा चुकी है। न्यूनतम मजदूरी एक अनिवार्य मुद्दा है। इसका उल्लंघन नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। यह बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आता है। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार अपने निर्णयों में कही है। इसके बाद भी यह शर्म की बात है कि इन मेहनत करने वाले मजदूरों को मात्र एक रुपया सरकार मजदूरी दे रही है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

खबरें संक्षेप में

शराब से बढ़ती है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

• भारत डोगरा •

हाल में दिल्ली में बस गैंगरेप की घोर क्रूरता करने वाले व्यक्तियों ने इस अपराध से पहले जमकर शराब पी थी। पहले भी महिलाओं के विरुद्ध हुए अनेक गंभीर हिंसा के मामलों में शराब की भूमिका सामने आ चुकी है। अब तो इस बारे में गहन अध्ययन से निकले आंकड़ें भी उपलब्ध हैं कि जब शराब की खपत बढ़ती है तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी बढ़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन बताते हैं कि अधिक शराब पीने वाले क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले अधिक पाए गए व वे शराब से संबंधित थे। दूसरी ओर कीमत बढ़ने से या अन्य कारणों से जहां शराब की उपलब्धि कम हुई वहां महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में भी कमी आई। शराब की दुकानों के खुले रहने के समय में कमी की गई तो इससे ब्राजील व आस्ट्रेलिया में हिंसा कम हुई। ज्यादातर हिंसा की घटनाएं शाम को 6 बजे और 11 बजे के बीच घटती हैं। जहां शराब की समस्या अधिक है उन क्षेत्रों में हिंसा रोकने के लिए पुलिस की उपस्थिति को बेहतर करने को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जरूरी बताया है।

आंकड़ों व अध्ययनों की दुनिया से निकल कर जन आंदोलनों की जमीनी दुनिया में आएं तो भारत में शराब के विरुद्ध हुए लगभग सभी जन आंदोलनों व अभियानों ने एक स्वर से कहा है कि जब शराब की खपत बढ़ती है तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी बढ़ती है। यह भी एक कारण है कि इन आंदोलनों में महिलाएं बहुत अधिक सक्रिय रही हैं और उन्होंने बहुत कठिनाइयां और अत्याचार सहते हुए भी इन आंदोलनों को आगे बढ़ाया है। हाल के वर्षों में अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिकांश राज्य सरकारों ने शराब के ठेकों को तेजी से बढ़ाया है और अब यह ठेके बहुत दूर दूर के गांवों में भी पहुंच गए हैं। इसका एक कारण यह भी रहा है कि शराब के कुछ बड़े व्यवसायियों के नेताओं और अधिकारियों से उच्च स्तर पर बहुत नजदीकी संबंध बन गए, और इन्होंने भी शराब को दूर दूर के गांवों में पहुंचाने के लिए विभिन्न सरकारों पर दबाव बनाया। जहां एक ठेका खुलता है, वहां प्रायः वह आसपास की कुछ छोटी दुकानों, ढाबों आदि में भी बिना अनुमति के भी शराब बेचने लगता है। गांवों में शराब की नजदीक व आसान उपलब्धि का असर यह हुआ है कि शराब की खपत तेजी से बढ़ गई है। मेहमाननवाजी व शादी ब्याह आदि में भी शराब का चलन तेजी से बढ़ रहा है। शराब के विरुद्ध जो सामाजिक बंधन थे वे टूटते जा रहे हैं। पीने पिलाने को शान की बात समझा जा रहा है। गांव गांव में जो शराब के ठेके खुल गए हैं, प्रायः बदमाश तत्त्व उसके आसपास इकट्ठे होते हैं, उसे अपना अड्डा बना लेते हैं। इन कारणों से महिलाओं से छेड़छाड़ भी बढ़ती है और ज्यादा गंभीर किस्म की हिंसा भी।

महिला घर में पति को शराब पीने से मना करती है तो उसे पीटा जाता है, जबकि घर से बाहर शराबियों द्वारा यौन हिंसा की संभावना बढ़ती है। जो बेहद अनुचित कार्य होश हवास में करने से पहले आदमी बीस बार सोचता है, उसे शराब के नशे में बेहिचक कर डालता है। शराब के बढ़ते चलन ने महिलाओं के जीवन को बेहद असुरक्षित बनाया है। यही स्थिति शहरों की स्लम बस्तियों में व शराब की दुकानों के आसपास के क्षेत्र में देखी जा सकती है। हालांकि स्कूलों के निकट शराब का ठेका खोलने पर प्रतिबंध है, पर कई बार इसकी भी अवहेलना की जाती है। जिससे छात्राओं के लिए तो स्कूल जाना भी बहुत असुरक्षित हो जाता है।

अतः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने व कम करने का एक अनिवार्य बिंदु यह भी होना चाहिए कि सरकार शराब की उपलब्धि को व्यापक और सरल बनाने के स्थान पर इसे समुचित ढंग से नियंत्रित करे। विशेषकर दूर दूर के गांवों में शराब के ठेके खोलने पर रोक लगनी चाहिए। शराब की बिक्री के समय को भी कम किया जा सकता है। साथ में जो शिक्षा स्थान, धर्मस्थल, आदि स्थानों से शराब की दुकानों को दूर रखने के नियम पहले से मौजूद हैं, उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। *(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 273 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2013

खबरें संक्षेप में

छात्राएं हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर

• जेबा •

राजस्थान सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए खोला गया एकमात्र हॉस्टल इन लड़कियों के लिए भूत बंगला बन गया है। टूटी फूटी इमारत और वीरानी से खौफ खाकर लड़कियां हॉस्टल छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली गई हैं। कुछ दिन पहले दो लड़कियां इतनी डर गई कि उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात यह है कि लड़कियां एक के बाद हॉस्टल छोड़कर जा रही हैं। सरकार इनके लिए इंतजाम नहीं कर पा रही है। जयपुर शहर के घाटगेट मोहल्ला महावतान के गीजगढ़ हाउस में ये हॉस्टल है जिसका उद्घाटन दो साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। मुस्लिम घनी आबादी में स्थित इस हवेली को हाफिज अब्दुला ने लड़कियों की तालीम के लिए दान कर दिया था।

इसमें करीब 300 कमरे हैं। दिन में एक हिस्से में सुबह 7 से 12.30 बजे तक मुस्लिम गर्ल्स स्कूल चलता है। इसके बाद शाम 6 बजे तक लड़कों का स्कूल चलता है। इसके बाद हवेली में एक वार्डन एक चौकीदार और हॉस्टल की लड़कियां रह जाती हैं। हवेली का एक हिस्सा तोड़कर नए ढंग से बना दिया गया है जबकि दूसरा हिस्सा खंडर और वीरान पड़ा है। इसी हिस्से को देखकर रात को लड़कियां चीखें मारती हैं। हॉस्टल की वार्डन फरीदा सय्यद ने बताया कि पिछले दिनों यूपी से बीयूएमएस करने आई सदफ की तबीयत खराब हो गई थी। रात 11 बजे एंबुलेंस बुलाकर एसएमएस ले जाया गया। इसको वापस लाते ही दूसरी लड़की आशना भी चीखें मारकर बेहोश हो गईं। इसे भी फौरन एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। हॉस्टल में रह रही दूसरी लड़कियां तसलीम शेख और अफशां ने बताया कि दोनों लड़कियां खौफ की वजह से चीख रही थी। इनके हाथ पैर अकड़ कर टेढ़े हो गए थे। इन दोनों ने भी माना कि कोई भी रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। हॉस्टल चौथी मंजिल पर है। कमरा खोलते ही सुनसान छत और वीरान हवेली नजर आती है जिसे देखकर डर लगता है। रात को तरह तरह की आवाजें आती हैं। शुरू में जब ये हॉस्टल खोला गया था तो 100 लड़कियां थीं। फिर 50 रह गई और अब सिर्फ 35 लड़कियां रह गई हैं। आयशा, सदफ और अतीफा समेत 5 लड़कियां अभी हाल ही में हॉस्टल छोड़कर चली गई हैं। वे वापस नहीं आना चाहती हैं। वार्डन फरीदा का कहना है कि रात 10 बजे तक सायरा वार्डन यहां रहती हैं। इसके बाद रात 11 बजे को मैं आ जाती हूं। लड़कियों की शिकायत है कि वार्डन झूठ बोल रही है। वो रात को हॉस्टल में कभी नहीं रुकती है। तमाम लड़कियां अपने अपने कमरों में कैद रहती हैं। बाथरूम अटैच नहीं है। इन्हें दूर जाना पड़ता हैं। डर की वजह से ये टॉयलेट तक नहीं जा पाती हैं।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के डायेरक्टर अशफाक अहमद का कहना है कि इस हादसे के बाद हॉस्टल की हिफाजत के लिए ज्यादा आदमी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा बिल्डिंग में लाइटें लगवाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। हालांकि हॉस्टल को टेंडर पर दिया गया है। इसे अंजुमन चलाती है। फिर भी इनकी कोशिश है कि बच्चों को डर के माहौल से निकाला जाए। सरकार की तरफ से मानसरोवर में हॉस्टल के लिए दी गई जमीन पर हॉस्टल तामीर हो रहा है। अगले 6 महीने बाद लड़कियों के वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। **(विविधा फीचर्स)**